भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2562

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

हाथ से मैला उठाने के कारण हुई मौत

2562. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथ से मैला उठाने तथा सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण दर्ज की गई मौतों की संख्या और ब्यौरा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में चिन्हित व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं तथा इसी अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वासित किए गए व्यक्तियों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कानून के तहत हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध के बावजूद ऐसी मौतों के निरंतर होने के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का पूर्ण मशीनीकरण सुनिश्चित करने, अधिकारियों तथा ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने एवं आगे जनहानि को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): हाथ से मैला उठाने के कारण किसी भी मौत की सूचना नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.01.2021 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मियों की मृत्यु का राज्य-वार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अनुसार वर्ष 2024-2025 के दौरान देश के सभी जिलों में हाथ से

मैला उठाने वाले कर्मियों का एक नया सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी नहीं पाया गया है। तथापि, वर्ष 2013 और 2018 में किए गए दो सर्वेक्षणों के दौरान 58,098 व्यक्तियों को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में चिन्हित किया गया है। चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-II** में दी गई है। चिन्हित सभी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को 40,000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एकबारगी नकद सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वैकल्पिक स्वरोजगार परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए जिन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों तथा उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण और पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-III** में दी गई है। बाद में इस योजना का विलय जुलाई, 2023 में शुरू की गई राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) में कर दिया गया था।

(ग): सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ मौतें "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएम अधिनियम, 2013)" तथा "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 (एमएस नियम, 2013)" के तहत यथानिर्धारित सुरक्षा उपायों और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन न करने के कारण हुई हैं।

(घ) और (ड.): सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) शुरू की गई है। योजना के तहत देशभर में 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का सत्यापन किया गया है।

एमएस अधिनियम, 2013 और एमएस नियम, 2013 के तहत, नियोजक द्वारा सुरक्षात्मक यंत्रों और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और सावधानियां बरतने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी किए बिना, किसी कर्मचारी से सीवर और सेप्टिक टैंक की परिसंकटमय सफाई करवाना मना है। इसमें यह भी प्रावधान है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

'राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना' (नमस्ते) के तहत इन श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं:-

i. सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट ।

ii. सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण।

iii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए सुरक्षा उपकरण।

iv. स्वच्छता कर्मचारियों और निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों (पीएसएसओ) को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी।

v. स्वास्थ्य बीमा का कवरेज।

vi. सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाएं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 की भी शुरूआत की। इसमें एक नया घटक अर्थात प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में जोखिमपूर्ण प्रवेश को समाप्त करना और सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई को क्रमिक रूप से बंद करते हुए मशीनों से सफाई कराना है।

संलग्नक-I

"हाथ से मैला उठाने के कारण हुई मौत" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2562, जिसका उत्तर 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I

01.01.2021 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मियों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मौतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5
2	बिहार	2
3	दादरा और नगर हवेली	3
4	दिल्ली	29
5	गोवा	1
6	गुजरात	27
7	हरियाणा	47
8	झारखंड	1
9	कर्नाटक	12
10	मध्य प्रदेश	13
11	महाराष्ट्र	58
12	ओडिशा	2
13	पंजाब	12
14	राजस्थान	23
15	तमिलनाडु	38
16	तेलंगाना	9
17	उत्तर प्रदेश	37
18	पश्चिम बंगाल	13
	कुल योग	332

संलग्नक -II

"हाथ से मैला उठाने के कारण हुई मौत" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2562, जिसका उत्तर 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-II

वर्ष 2013 और 2018 में किए गए सर्वेक्षणों में चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र .सं.	राज्य	चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1793
2.	असम	3921
3.	बिहार	131
4.	छत्तीसगढ	3
5.	गुजरात	105
6.	झारखंड	192
7.	कर्नाटक	2927
8.	केरल	518
9.	मध्य प्रदेश	510
10.	महाराष्ट्र	6325
11.	ओडिशा	230
12.	पंजाब	231
13.	राजस्थान	2673
14.	तमिलनाडु	398
15.	उत्तर प्रदेश	32473
16.	उत्तराखंड	4988
17.	पश्चिम बंगाल	680
	कुल योग	58098

संलग्नक-III

"हाथ से मैला उठाने के कारण हुई मौत" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2562, जिसका उत्तर 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-III

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत वैकल्पिक स्वरोजगार परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों तथा उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण और पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई थी, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है। बाद में इस योजना का विलय जुलाई, 2023 में शुरू की गई राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) कर दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान की गई	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या जिन्हें पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई
1	आंध्र प्रदेश	72	-
2	असम	198	9
3	कर्नाटक	415	671
4	केरल	12	-
5	मध्य प्रदेश	145	-
6	महाराष्ट्र	572	65
7	पंजाब	-	5
8	राजस्थान	1350	46
9	उत्तर प्रदेश	7625	311
10	उत्तराखंड	1464	22
11	पश्चिम बंगाल	16	445
कुल		11869	1574
